कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–2/स्थानांतरण/इतिहास/ 2019–20/ दिनांक–29.09.2019 के तहत् तहत श्री नवीन कुमावत व्याख्याता इतिहास का स्थानांतरण राउमावि, परवण फागी, जयपुर से राउमावि, नावतला सेडवा बाखासर,चौहटन, बाड़मेर किया गया । नवीन कुमावत ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3663/2019 नवीन कुमावत बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 04.12.2019 द्वारा न्यायहित में यह आदेश दिया है की अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्राधिकारी को रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देशित कर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को संसूचित करने के आदेश पृदत किये गये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में अपीलार्थी नवीन कुमावत ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्थानान्तरण स्थान 650 कि.मी. की दूरी होना, माता–पिता के वृद्व होने के आधार निम्नलिखित रिक्त पदः– 1. राउमावि, कोटखावदा चाकसू, जयपुर 2. राउमावि रूपाहेडी कलां चाकसू, जयपुर 3. राउमावि रासर पालावाला बस्सी, जयपुर 4 राउमावि जटवाडा बस्सी, जयपुर 5. रा. दरबार उमावि सांभरलेक, जयपुर के रिक्त पद की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्वान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश मे राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया
। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–2/अभ्यावेदन/नवीन कुमावत/को.के/20–21 दिनांकः 27/01/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिकगार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर